



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 26 राँची, बुधवार
24 अग्रहायण, 1943 (श०)
15 दिसम्बर, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 333- 340 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

8 नवम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-26/2017का.7844--श्री अतुल रंजन भगत, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-गुमला) अंचल अधिकारी, रानेश्वर, दुमका को झारखण्ड सेवा संहिता एवं वित्त विभाग के संकल्प के अधीन निम्नवत् अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

- 1 दिनांक 04.05.2021 से 24.05.2021 तक निरोधा अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के (कुल 21 दिन) नियम 166 के अधीन परिशिष्ट 13 (1)(ख) के तहत ।
- 2 दिनांक 19.04.2021 से 03.05.2021 तक पितृत्व अवकाश के रूप में वित्त विभाग के संकल्प (कुल 15 दिन) संख्या-551/वि० दिनांक 01.03.2007 के तहत ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-34/2017-180641(HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती छवि बाला बारला, झा०प्र०से०, तृतीय बैच की सेवा उनके नाम के सामने स्तंभ 6 में अंकित तिथि से संपुष्ट की जाती है ।

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	CHHAWI BALA BARLA- (110031165680)	DC OFFICE BOKARO	<u>BERMO AT TENUGHAT SUBDIVISION, BOKARO</u> Executive Magistrate	12/08/2010	03/07/2020

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-156/2015-180640(HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी मो० अनीस, झा०प्र०से०, चतुर्थ बैच की सेवा उनके नाम के सामने स्तंभ 6 में अंकित तिथि से संपुष्ट की जाती है ।

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	MD ANISH- (110033186520)	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT(URBAN DEVELOPMENT)	<u>DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION</u> <u>.DHANBAD</u> Executive Officer	11/02/2013	12/02/2015

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-22/2019-180642(HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री पप्पु राजक, झा०प्र०से०, पंचम बैच की सेवा उनके नाम के सामने स्तंभ 6 में अंकित तिथि से संपुष्ट की जाती है ।

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	PAPPU RAJAK- (110047710605)	DC OFFICE KODERMA	<u>MARKACHCHO BLOCK ,KODERMA</u> Block Development Officer	15/06/2016	19/10/2019

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

24 नवम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-802/2020 का०- 8064--श्री ऋतुराज, भा.प्र.से. (झा:2018), अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा को-

1. अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी)नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 16.11.2021 से 15.12.2021 तक कुल 30 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उक्त उपार्जित अवकाश की अवधि में से 07 दिनों के लिए निजी कार्य से निजी व्यय पर विदेश (मालदीव) की यात्रा की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-886/05का०-8102--डॉ० हिमानी पाण्डे, भा.प्र.से. (झा:1998), सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-13018/1/2010, दिनांक-07.09.2010 के आलोक में दिनांक 22.11.2021 से 06.12.2021 तक कुल 15 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-810/2021का०-8130--श्री अरुण कुमार रतन, भा.प्र.से. (झा:2010), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 18.10.2021 से 27.10.2021 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2021

संख्या-03/नि०सं०-09-17/2020का.8138--श्री मुरली मनोहर प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-627/03), संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को निम्नांकित अवधियों की अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक 06.02.1994 से 04.03.1994 तक :- असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत ।
(कुल 27 दिन)
- (ii) दिनांक 08.11.2021 से 28.11.2021 तक :- उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत ।
(कुल 21 दिन)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।